[18/12/2024]

प्रश्न सं. [क्र. 1070]

मध्य प्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग,
मंत्रालय

क्रमांक एफ0 01–14/2014/20–1

भोपाल दिनांक 18/07/2022

प्रति,

आयुक्त,
लोक शिक्षण संचालनालय म0प्र0,
भोपाल।

विषयः– म0प्र0 स्कूल शिक्षा शिक्षक'–शिक्षा एवं प्रशिक्षण (अकादमिक) राजपत्रित सेवा भर्ती नियम, 2011 को निरस्त किए जाने के उपरांत कार्यवाही बावत्।

—

विषयांतर्गत लेख है कि म0प्र0 स्कूल शिक्षा शिक्षक'–शिक्षा एवं प्रशिक्षण (अकादमिक) राजपत्रित सेवा अंतर्गत 01 अप्रैल, 2021 को जारी वरिष्ठता सूची के अनुसार, शिक्षक शिक्षा संवर्ग में 04 सहायक प्राध्यापक, 92 वरिष्ठ व्याख्याता एवं 48 व्याख्याता कार्यरत हैं। पदक्रम सूची में प्रथम नियुक्ति से संबंधित लोक सेवकों की वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है।

तदानुसार कुल 144 लोक सेवकों की प्रथम नियुक्ति दिनांक के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत लोकशिक्षण संचालनालय की एकजाई पदक्रम सूची में समाहित किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित है। इस प्रकार इन सभी लोकसेवकों को कनिष्ठ लोक सेवकों के उपर स्थान देते हुए, समकक्ष लोक सेवकों के समान पदोन्नति/समयमान की पात्रता होगी। इस प्रकार समाधान कारक कार्यवाही सम्पादित करते हुए प्रस्ताव/की गई कार्यवाही से इस विभाग को शीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

18/7/22

(ओ0एल0मण्डलोई)
उप सचिव
म0प्र0शासन स्कूल शिक्षा विभाग

//अरकेवमां//

अनुभाग अधिकारी
न्यायालयीन प्रकोष्ठ
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा–1)
मंत्रालय, भोपाल